छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक / 87 / रेरा / 2023 / ७५१ रायपुर, दिनाँक 19 / 07 / 2023

// परिपत्र //

विषय :– रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रीकरण व छ.ग. रेरा में पूर्व से पंजीकृत प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त प्रकटीकरण हेतु समयावधि में वृद्धि बाबत्।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक / 83 / रेरा / 2023 / 753, रायपुर दिनाँक 01.06.2023।

––00––

प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से छ.ग. रेरा में पंजीकृत ऑनगोईंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एवं नवीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में ब्रोशर व विक्रय के लिये जारी प्रचार सामग्री एवं स्वीकृत ले–आउट अनुसार किये जाने वाले विकास कार्यों और सुविधाओं की लागत के संबंध में प्रमोटर्स / डेव्हलपर्स को अतिरिक्त प्रकटीकरण हेतु परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में प्रोजेक्ट की घटक वार वित्तीय योजना की जानकारी त्रैमासिक अद्यतन के साथ व पृथक से प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अनिवार्यतः प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त संबंध में अधिनियम की धारा–37 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राधिकरण द्वारा पूर्व नियत समयावधि में संशोधन करते हुये दिनांक 15.09.2023 तक वृद्धि की जाती है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंजीयन हेतु प्रस्तुत नवीन आवेदन पत्रों एवं विस्तार हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों के साथ उक्त जानकारी अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

15/7/2023

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर